न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 01/18

अनवान

1. लालचन्द पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. रामकुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी गढ़ीछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **अप्रार्थी**

आवेदन बाबत रास्ता स्वीकृत करवाने
अन्तर्गत धारा 251 राज0काश्त0अधि0 सपठित शर्त 8(2)
राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस।

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल **: प्रार्थी**
वकील श्री विनोद कारेला व श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 14·2·18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की रोही मौजा चक 7 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 108/86 के मु0नं0 2 के किला नं0 3, 8मु0नं0 8 के किला नं0 3 ता 5, 7, 8 कुल 1.771 है0 नहरी बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी के पास में ही अप्रार्थी की खातेदारी स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों सगे भाई है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी पहले मुश्तर्का खातादारी हुआ करती थी।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये मंजूरशुदा रास्ता से होकर अपनी खातेदारी के मु0नं0 8 के किला नं0 5 व 4 के उतरी तरफ व खाला के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम चलकर किला नं0 3 के उतरी पूर्वी कोना से मुडकर अप्रार्थी की चक 7 जेएसएल के मु0नं0 2 के किला नं0 23, 18, 13 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ चलकर प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 7 जेएसएल के मु0नं0 2 के किला नं0 8 में प्रवेश करता है।

प्रार्थी की खातेदारी के मु0नं0 8 के किला नं0 5, 4 के उतरी तरफ व किला नं0 3 के उतरी पूर्वी कोना तथा अप्रार्थी की मु0नं0 2 के किला नं0 23, 18 व 13 मे रा स्वीकृतशुदा रास्ता दर्ज नहीं है। जिसके चलते अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी भी दे रखी है तथा रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के चलते पक्षकारान में आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थी चक 7 जेएसएल के मु0नं0 8 के किला नं0 5, 4 के उतरी तरफ 330 फिट लम्बाई व 8–1/4 फिट चौडाई में तथा किला नं0 3 के उतरी पूर्वी कोना पर 8–1/4 लम्बा

अधिकारी (राजस्व)

व 8–1/4 चौडाई में से रास्ता स्वीकृत करते हुये अप्रार्थी की चक 7 जेएसएल के मु0नं0 2 के किला नं0 23, 19, 13 में पूर्वी दिशा में 495 फिट लम्बाई एवं 8–1/4 फिट चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में एडब्ल्यु 1 लालचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7जेएसएल खाता सं0 97/86 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमबन्दी चक 7 जेएसएल खाता सं0 108/86 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 2, चित्रप्रति प्रमाणित नक्शा ट्रेसिग चक 7 जेएसएल प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने चक 7 जेएसएल की अपनी आराजी में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी ने रास्ता की बाबत आपस में राजीनामा कर लिया है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सरल सुगम व कम दूरी का है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित शर्त 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन कण्डिशंस एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा चक 7 जेएसएल के मु0नं0 8 के किला नं0 5, 4 के उतरी तरफ 330 फिट लम्बाई व 8–1/4 फिट चौडाई में तथा किला नं0 3 के उतरी पूर्वी कोना पर 8–1/4 लम्बा व 8–1/4 चौडाई में से रास्ता स्वीकृत करते हुये अप्रार्थी रामकुमार की चक 7 जेएसएल के मु0नं0 2 के किला नं0 23, 18, 13 में पूर्वी दिशा में 495 फिट लम्बाई एवं 8–1/4 फिट चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़